कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 227/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 29/2020

प्रेस नोट

दिनांक 29.09.2020 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा जनपद में कानून/शान्ति व्यवस्था को प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाये रखने के दृष्टिगत निम्नलिखित पुलिस उपाधीक्षक को उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किये जाते हैं-

01.श्री अनिल राय – क्षेत्राधिकारी पिण्डरा से क्षेत्राधिकारी वीआईपी

02.श्री अभिषेक कुमार पाण्डेय- पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय/भवन/आंकिक से क्षेत्राधिकारी पिण्डरा

03.श्री ज्ञान प्रकाश राय- क्षेत्राधिकारी वीआईपी से पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय/भवन/रिट/आंकिक

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 228/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 29/2020

प्रेस नोट

दिनांक 28.09.2020 को थाना आदमपुर के उ0नि0 राजकुमार चौकी प्रभारी मच्छोदरी द्वारा मय हमराह पुलिस बल के देखभाल क्षेत्र, शांति व्यवस्था, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान मुखबिर की सूचना पर बरवा तले शौचालय के पास से ताश के पत्तों से हार जीत की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे तीन व्यक्ति (1) एकलाक अहमद पुत्र स्व0 शरीफ खन्नी वाले निवासी ए-32/31 छित्तनपुरा थाना आदमपुर वाराणसी उम्र करीब 35 वर्ष, (2) मुश्ताक अहमह पुत्र स्व0 अब्दुल गफ्फार निवासी ए-33/25-बी ओमकालेश्वर थाना आदमपुर वाराणसी उम्र करीब 21 वर्ष व (3) असलम पुत्र स्व0 सफीउल्लाह निवासी ए-26/12-ए हसनपुरा थाना आदमपुर वाराणसी उम्र करीब 35 वर्ष को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से ताश के 52 पत्ते व रू0 1720/- नगद बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना आदमपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 106/2020 धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. एकलाक अहमद पुत्र स्व0 शरीफ खन्नी वाले निवासी ए-32/31 छित्तनपुरा थाना आदमपुर वाराणसी उम्र करीब 35 वर्ष।
2. मुश्ताक अहमह पुत्र स्व0 अब्दुल गफ्फार निवासी ए-33/25-बी ओमकालेश्वर थाना आदमपुर वाराणसी उम्र करीब 21 वर्ष।
3. असलम पुत्र स्व0 सफीउल्लाह निवासी ए-26/12-ए हसनपुरा थाना आदमपुर वाराणसी उम्र करीब 35 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

1. रू0 1720/- नगद
2. ताश के 52 पत्ते।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- उ0नि0 राज कुमार चौकी प्रभारी मच्छोदरी, हे0का0 अनिल कुमार सिंह, का04559 संजय गौड़ व का0 4326 राजेन्द्र राव थाना आदमपुर वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 229/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 29/2020

प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 28/09/2020 को थाना सारनाथ पुलिस देखभाल क्षेत्र में पंचकोसी चौराहे पर मौजूद थी, इसी दौरान मुखबिर ने सूचना दी कि दीनापुर निवासी राजेन्द्र जायसवाल आई0पी0एल0 क्रिकेट पर अपने घर में हार जीत की बाजी लगाते हुए मोबाइल से सट्टा खेल व खिलवा रहा है, यदि जल्दी किया जाये तो मोबाइल व सट्टे के रूपयों के साथ पकड़ा जा सकता है। थाना सारनाथ पुलिस मुखबिर को साथ लेकर ग्राम दीनापुर पहुँची। मुखबिर ने कुछ दूर से इशारा करके बताया की यही राजेन्द्र जायसवाल उर्फ राज का घर है, जिसके अन्दर लोग सट्टा खेल व खिलवा रहे है। मौके पर मौजूद पुलिस बल द्वारा मकान के अन्दर प्रवेश किया गया तो कमरे के अंदर बैठे तीन व्यक्ति पुलिस की आहट पाकर कमरे से निकलकर भागने लगे, जिन्हें पकड़ने का प्रयास किया गया तो 02 व्यक्ति मकान के पिछले दरवाजे से अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गये तथा एक व्यक्ति अंकित जायसवाल पुत्र गुलाब चंद जायसवाल निवासी 7/172/279-जे-1 गाड़ीघाट अशोक नगर थाना सारनाथ वाराणसी को समय करीब 23.15 बजे पकड़ लिया गया। कमरे की तलाशी ली गयी तो वहां से 13 अदद मोबाईल फोन, 05 अदद रजिस्टर, 02 अदद कैलकुलेटर, 02 अदद कलम व रु0-49,950/-नगद बरामद हुआ। पूछताछ के दौरान बताया कि भागा हुआ व्यक्ति राजेन्द्र जायसवाल उर्फ राज अपने घर में स्वयं जुआ खेलता है व लोगों को बुलाकर जुआ खिलवाता है तथा जनपद स्तर पर IPL मैच की सट्टेबाजी भी करवाता है। दूसरा व्यक्ति आशीष गुप्ता निवासी हुकुलगंज पांडेयपुर वाराणसी भी उसका सहयोगी है। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना सारनाथ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 568/2020 धारा 3/4 जुआ अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- अंकित जायसवाल पुत्र गुलाब चंद जायसवाल निवासी 7/172/279-J-1 गाड़ीघाट अशोक नगर थाना सारनाथ वाराणसी उम्र 25 वर्ष।

फरार अभियुक्तगण का विवरण-

1. राजेन्द्र जयसवाल उर्फ राज पुत्र अज्ञात निवासी दीनापुर थाना सारनाथ वाराणसी।
2. आशीष गुप्ता पुत्र अज्ञात निवासी हुकुलगंज थाना लालपुर /पांडेयपुर वाराणसी।

बरामदगी का विवरण-

1. 13 अदद मोबाईल फोन कीमती (1,70,000/- रु0)
2. 05 अदद रजिस्टर (कॉपी)
3. 02 अदद कैलकुलेटर
4. 02 अदद कलम।
5. रु0- 49,950/- नगद

6.

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. प्रभारी निरीक्षक इन्द्र भूषण यादव, उ0नि0 धर्मराज शर्मा, उ0नि0 मिथिलेश कुमार चौकी प्रभारी पुराना पुल, उ0नि0 विनायक सिंह, का0 दिनेश यादव, का0 बूटा सिंह थाना सारनाथ वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 230/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 29/2020

प्रेस नोट

दिनांक 29-09-2020 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखने एवं जनपद में कानून/शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों पर पंजीकृत मारपीट करने/धमकाने/लूट/नकबजनी/चोरी के मुकदमों में वांछित सक्रिय अपराधियों की निगरानी हेतु हिस्ट्रीशीट की कार्यवाही की गयी है, जिनका विवरण निम्नवत है-

1. रवि कन्नौजिया पुत्र दीनानाथ उर्फ दस्यु ग्राम करखियांव थाना फूलपुर वाराणसी उम्र 24 वर्ष
2. तबरेज अली पुत्र खुर्शीद आलम ग्राम महराजपुर थाना कपसेठी जनपद वाराणसी उम्र 22 वर्ष
3. मकसूद आलम पुत्र स्व0 हसन अली ग्राम महराजपुर थाना कपसेठी जनपद वाराणसी उम्र 53 वर्ष
4. पिन्टू गोस्वामी पुत्र मुन्नी लाल प्रसाद उर्फ मुंशी गोस्वामी ग्राम A-34/65A-1 तेलियाना थाना आदमपुर वाराणसी उम्र 28 वर्ष

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस
कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 231/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 29/2020

प्रेस नोट

आज दिनांक 29-09-2020 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा क्राइम ब्रान्च में नियुक्त उ0नि0 प्रदीप कुमार यादव, मु0आ0 घनश्याम वर्मा, आरक्षी कुलदीप सिंह व आरक्षी चन्द्रसेन सिंह को वांछित व घोषित अपराधियों के साथ मेल-मिलाप रखने, घटना के बाद अधिकारियों से जानकारी साझा न करने, घटना के अनावरण का सार्थक प्रयास न करने व अपराधियों की गिरफ्तारी में रुचि न लेने के आरोप में निलम्बित किया गया।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 232/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 29/2020

प्रेस नोट

दिनांक 25/26.09.2020 की रात्रि थाना चोलापुर क्षेत्रान्तर्गत विनय जायसवाल (उम्र 35 वर्ष) पुत्र स्व0 लालजी जायसवाल निवासी आयर बाजार चोलापुर वाराणसी की अज्ञात व्यक्ति द्वारा की गयी हत्या के संबंध में थाना चोलापुर में मु0अ0सं0 398/2020 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया। घटना के अनावरण के क्रम में आज दिनांक 29.09.2020 को थाना चोलापुर पुलिस द्वारा एक बाल अपचारी (उम्र 14 वर्ष) को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद की गयी। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना चोलापुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ में अपचारी अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मेरे द्वारा महेन्द्र पाल निवासी आयर बाजार चोलापुर वाराणसी की साइकिल चोरी करने के प्रकरण में मृतक विनय का नाम आने की बात को लेकर विनय के भाई ब्रिजीत द्वारा मुझे बाजार में अन्य लोगों के सामने मारा गया था जिसका बदला लेने के लिए मैंने दिनांक 25/26-09-2020 की रात्रि में ब्रिजीत के घर के बाहर सो रहे व्यक्ति को ब्रिजीत समझकर कुल्हाड़ी से उसकी हत्या की थी। बाद में मुझे पता चला कि जिस व्यक्ति की मैनें हत्या की है वह विनय जायसवाल था।

बरामदगी का विवरण-

- हत्या में प्रयुक्त 01 अदद कुल्हाड़ी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 रामराज शुक्ल, उ0नि0 प्रेमनरायण विश्वकर्मा, मु0आ0 रामप्रताप सिंह, का0 प्रसान्त सिंह, का0 आशीष यादव, का0 मुरारी यादव व का0 वशीम खाँ थाना चोलापुर वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 233/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 29/2020

प्रेस नोट

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, गैर जरुरी तौर से होटल/गेस्ट हाऊस/दुकानें खुली रखने वाले संचालकों, कालाबाजारी करने वालों व राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन से सम्बन्धित नियमों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए आज दिनांक 29-09-2020 को विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए *कुल 53 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-151 सीआरपीसी* के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया तथा *72 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-188 चालानी रिपोर्ट व धारा-51 आपदा प्रबन्ध अधिनियम* के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों, 14 बार्डर प्वाइंट व 49 पुलिस नाकों पर सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए *कुल 2494 वाहनों का चालान, 23 वाहनों को सीज तथा 283 वाहनों से रु0-3,22,900/- समन शुल्क वसूल* किया गया।

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के आदेशानुसार आज दिनांक 29-09-2020 को जनपद वाराणसी राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन से सम्बन्धित नियमों का उल्लंघन करने वाले तथा बिना मास्क पहने घूम रहे व्यक्तियों के विरूद्ध अभियान चलाकर बिना मास्क धारण किये *कुल 1321 व्यक्तियों से रु0-71,450/- जुर्माना* जमा कराया गया।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।